उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सत्र-2023 के द्वितीय शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-36 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
36(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कालेजों में पी0टी0ए0 के माध्यम से छात्रों/अभिभावकों से धन वसूली पर शासनादेश दिनांक 09.08.2004 द्वारा रोक लगा दी गई है?	शासनादेश दिनांक 09.08.2004 के संबंध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-1594/15-7-07-1(227)/2007, दिनांक 08 अक्टूबर, 2007 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित किया गया है कि "संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.08.2004 का उद्देश्य अभिभावक-अध्यापक, एसोसिएशन की सामान्य गतिविधियों पर अंकुश लगाना कदापि नहीं है। इसका एक मात्र उद्देष्य पी0टी0ए0 के नाम पर अनधिकृत रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूली पर अंकुश लगाना है। अतः अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली, 1986 में विद्यालयों को दी गयी व्यवस्था के अनुसार माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा कार्यवाही की जाय ताकि अभिभावकों के सहयोग से संस्थाओं के विकास की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।"
(ख) क्या जिला गौतमबुद्ध नगर के उक्त विद्यालयों में पी0टी0ए0 के माध्यम से प्रत्येक मद की वसूली से हुई आय का सत्र 2021-22 एवं 2022-23 का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक-लेखा/9069-71/2022-23, दिनांक 28.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में मात्र 12 विद्यालयों द्वारा ही पी0टी0ए0 लिया गया है। प्राप्त 11 विद्यालयों की सूचना के आधार पर सत्र 2021-22 में कुल रू0 78,96,818/- तथा सत्र 2022-23 में कुल रू0 91,72,849/- मात्र शुल्क लिया

गया है। 01 विद्यालय श्री अमीचन्द इण्टर कालेज, कासना के प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा अवगत कराया है कि पूर्व में कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं जिस कारण संबंधित सूचना प्रेषित नहीं हो पा रही है। अभिलेख प्राप्त होने पर सूचना प्राप्त करा दी जायेंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा श्री रवि शंकर, पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य, अमीचन्द इण्टर कालेज कासना को तीन दिन के अन्दर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्या उक्त वसूली, अधिकारियों/जिला विद्यालय निरीक्षक के संरक्षण में हुई है?

प्रश्न नहीं उठता।

गुलाब देवी
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।